5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

68

न्यायलय श्रीमान् समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निग.प्र.क्र— नि-3258-I-16 वर्षः—

(1) गोविन्द्र दास नाई (2) नवल किशोर , [illegible] पिता बैनी प्रसाद नाई ग्राम पीरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर .... निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

शासन म0प्र0..गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा. संहिता 1959 निगरानी बिरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायलय कलेक्टर छतरपुर के प्रक. क 66/अपील/ अ—89 —अ/अ—13/ 2014—15 में पारित आदेश दि. 04.01.2016 से दुःखी होकर

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्तागण सादर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है—

1. **निगरानी का संक्षिप्त विवरण** यह है कि ग्राम पीरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नं.1517/2/1/1 एवं 1517/2/का.1/रकवा कमशः1.393 व 1.392 है0 राजस्व अभिलेख में अपीलार्थीगणों के नाम दर्ज थी उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण की प्रैत्रिक कृषि भूमि है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं।
2. यह कि अपीलार्थीगणों का उक्त कृषि भूमि का वटवारा लगभग 15 वर्ष हो चुका था जो अपने—अपने हिस्से 1/4—1/4 पर काबिज हैं। हल्का पटवारी द्वारा एक प्रतिवेदन एवं एकल साक्ष्य दि.8.7.2011 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा 30.7.2011 को आदेश पारित किया कि अपीलार्थीगणों द्वारा कालोनाइजर का लाइसेंन्स प्राप्त किये बिना भूमि का डायवर्सन कराये बिना तथा नगर एवं ग्राम निवेश से नक्शा का अनुमोदन कराये बिना आवासीय भू खण्ड के रूप में भूमि विकरः की है जिससे म0प्र0 पंचायती एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 संशोधित 1997 के अध्याय 6—क उल्लंघन होने से आवेदक/ अपीलार्थीगण की भूमि का प्रबंधन शासन हित में दिया गया है। तथा राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन प्रबंधक अनुविभागीय अधिकारी राजनगर लेख कर दिया गया है। जिससे अपीलार्थीगण उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि. 30.7.2011 के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क. 15614/2011 प्रस्तुत की याचिका का निराकरण दि.11.8.2015 को पारित किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3258/एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-10-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 66/अपील/अ–89–अ/अ–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण का अपने अन्य भाईयों के साथ 15 वर्ष पूर्व किये गये बंटवारे अनुसार काबिज चला आ रहा है। विवादित भूमि खसरा क्रमांक 1517/2/1/1 व 1517/2/क/1 रकवा क्रमशः 1.393, 1.392 राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण के नाम दर्ज है। जो उसकी पुश्तैनी भूमि है तथा पुश्तैनी कार्य नाई का होने के कारण परिवार के अन्य भाईयों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने एवं पारिवारिक कर्जे चुकाने के कारण कुछ कृषि भूमि का विक्रय कई वर्ष पूर्व किया था, जिसका आधार लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर द्वारा सम्पूर्ण भूमि के साथ–साथ आवेदक के कब्जेवाली भूमि को भी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में मान्य करते हुए प्रबंधन, शासन पक्ष एवं प्रतिबंधित किये जाने का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश उपरान्त भी प्रस्तुत अपील की पुष्टि कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा किये जाने से पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया है कि	

अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा उप–पंजीयक कार्यालय राजनगर से भूमि के विक्रय की जानकारी प्राप्त की है, जिसमें उनके दिये गये प्रतिवेदन अनुसार आवेदक द्वारा किसी भी भूमि का विक्रय नहीं किये जाने के उपरांत भी म0प्र0 शासन एवं प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही की गयी है, जबकि आवेदकगण बंटवारा अनुसार अपनी भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस कारण आवेदकगण के कब्जे वाली भूमि को प्रतिबंधन से मुक्त करते हुए पारित आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क किया है कि कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं किये जाने से पारित आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि डायवर्सन के बिना भूमि का विक्रय किये जाने के कारण अवैध कॉलोनी का निर्माण करने पर आवेदक के साथ पूरन लाल, नवल किशोर एवं राम किशोर के विरूद्ध आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि 1/4, 1/4 भाग पर सभी पक्षों का पंजीकृत बंटवारा हुआ है। उप–पंजीयक, राजनगर से लिये गये प्रतिवेदन अनुसार क्रमांक 1, 2 3, 4 क्रमशः गोविन्द्रदास, पूरनलाल, नवलकिशोर, रामकिशोर पुत्रगण श्री बेनीप्रसाद नाई द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किये जाने का उल्लेख है। आवेदक गोविन्द्रदास नाई द्वारा भूमि का विक्रय किया जाना

आवेदक गोविन्द्रदास नाई द्वारा भूमि का विक्रय किया जाना नहीं पाया जाता, अतएव प्रस्तुत तर्को एवं उप–पंजीयक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत आदेश हस्तक्षेप योग्य पाता हूं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश 04.01.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2012 में खसरा क्रमांक 1517/2/1/1 एवं 1517/2/क/1 रकवा क्रमशः 1.393, 1.392 हैक्टेयर में से 1/3 एवं 1/3 हिस्सा को शासन हित एवं प्रतिबंधन से मुक्त करते हुए आवेदक के नाम यथावत रखे जाने के निर्देश दिये जाते है। शेष भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है तदानुसार यह निगरानी इसी स्तर पर निराकृत की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हैं।

सदस्य